राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2220672, 2224755 फैक्स नं. 2224754 E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in)

दिनांक 13/08/2019

क्रमांकः प. 6(83) / ग्रा.वि. / बीएफए / नियम / 2017/987

आदेश

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना क्रमांक पी–13039(18) / 1 / 2018–सीसी (पी–26825) दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राजस्थान राज्य मे परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन वितरण एंव विक्रय के सम्बध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम 2019 एतदद्वारा लागू किये जाते है।

राज्य में जैव डीजल के अवैध व्यापार को रोकने तथा जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय / खुली बिक्री को विनियमित करने के प्रयोजन से बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान को जैव ईधन पंजीकरण नियम 2019 लागू करने तथा इन नियमों के अन्तर्गत राज्य में जैव डीजल (बी–100) की थोक / खुदरा बिक्री हेतु विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं / वितरकों एवं विक्रेताओं का पंजीकरण करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है। बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जैव डीजल (बी–100) के निर्धारित मानक 15607 : 2016 के अनुरूप निम्नांकित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वदेशी जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, थोक एवं खुली बिक्री को विनियमित करेंगा एवं इस प्रकिया के अन्तर्गत आवश्यक समस्त रिकॉर्ड संधारित करेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 30.04. 2019 में वर्णित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अन्य सम्बन्धित विभाग नियमानुसार अनापत्ति / अनुमति / प्रमाण पत्र जारी करेंगें। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के राज्य समन्वयक अधिसूचना के अनुसार गुणवत्ता नियन्त्रण एवं विपणन दिशानिर्देशों के कियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि सम्बन्धित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. श्री वाई. बी रामाकृष्णा, चेयरमेन, बायोफ्यूल समन्वय समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री संदीप चतुर्वेदी, बायोडीजल ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश/छत्तीसगढ/कर्नाटक, बायोफ्यूल/बायोऐनर्जी बोर्ड/ऐजेन्सी
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एंव पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
15. प्रमुख शासन सचिव, एम.एस.एम.ई, विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।
19. शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
20. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
21. शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
22. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
23. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर
24. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय सघ लि./राजस सघ, जयपुर।
25. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
26. नियन्त्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
27. महा निदेशक, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
28. निदेशक, एम.एस.एम.ई, भारत सरकार, बाईस गोदाम इन्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर।
29. निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, मानकालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
30. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, पेट्रोलियम विस्फोटक एवं सुरक्षा संगठन, जयपुर।
31. मुख्य निरिक्षक, कारखाना एवं बॉयलर विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
32. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
33. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
34. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि.एवं पंचायती राज
विभाग